न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
विविध वाद संख्या–74 / 2015
मोनीका रानी बनाम बिहार सरकार

आदेश की कम संख्या और तारिख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
06.01.2016	**आदेश** उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद आवेदिका मोनिका रानी पत्नी उमेश कुमार, प्रोपराईटर यू0के0 इंडस्ट्रीज, ग्राम–रामनगर, पो0–बहादुरपुर, जिला–दरभंगा द्वारा आवेदिका एवं जिला प्रबंधक बिहार राज्य खाद्य निगम, दरभंगा के साथ निष्पादित एकरारनामा दिनांक–20.02.2013 की कंडिका–16 में उधृत तथ्यों के आलोकमें वाद आवेदन दायर किया गया है। आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी के द्वारा गलत आँकड़ा प्रस्तुत कर आवेदक से वसूली हेतु पहले नीलाम पत्र लाये, पुनः उसके बाद प्राथमिकी दर्ज करा दिये जबकि आवेदक द्वारा कुल राशि जमा किया गया है। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि आवेदन दिनांक–16.05.2015 के गलत ढ़ंग से प्रस्तुत करने एवं विविध वाद अंकित किया गया है, जो विधि अनुरूप नहीं है। मध्यस्थता के तहत आवेदन पर दोनों पक्षों के सहमति से हस्ताक्षर अंकित होना चाहिए जो नहीं है, जो मध्यस्थता अधिनियम की धारा–03 में उल्लेखित एकरारनामा को इंगित करता है। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कथन है कि आवेदक पुलिस से बचने के लिए गलत ढ़ंग से वाद आवेदन दायर किया है, जो प्रतिग्रहित योग्य नहीं है। उभय पक्ष को सुनने एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रस्तुत वाद विधि सम्मत दायर नहीं किया गया है। अतएव प्रतिग्रहण के बिन्दु पर इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा। समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा। 06/01/17 ज्ञापांक 59 / विविध विधि, दिनांक 10-01/17 प्रतिलिपि :- विद्वान ... को सूचनार्थ तदनुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।	प्रभारी पदाधिकारी विविध विधि प्रशाखा दरभंगा। 09/01/17